परिवहन विभाग, उत्तरांचल

सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कार्यालय पौड़ी

मैनुअल संख्या–05

कृत्यों के निर्वहन हेतु नियम, विनियम अनुदेश, निर्देशिका,और अभिलेख

मैनुअल संख्या–05

कृत्यों के निर्वहन हेतु नियम, विनियम अनुदेश, निर्देशिका, और अभिलेख

सम्भागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय, पौड़ी एवं उसके अधीन स्थापित उपसम्भागीय परिवहन कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किये जाने वाले कार्यों के निर्वहन हेतु प्रयोग में लाये जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख का संक्षिप्त विवरण निम्न है :–

क्र0 सं0	अधिनियम/नियम का नाम	विषय वस्तु सम्बन्धी सूक्ष्म विवरण
1.	मोटर यान अधिनियम, 1988	मोटर यानों से सम्बन्धित विधिक व्यवस्था इस अधिनियम में है। इसमें मोटरयानों के ड्राइवरों का अनुज्ञापन, मंजिली गाडियों के कण्डक्टरों का अनुज्ञापन, मोटर यानों का रजिस्ट्रीकरण, परिवहन यानों का नियन्त्रण, राज्य परिवहन उपक्रमों के बारे में विशेष उपबन्ध, मोटरयानों का निर्माण उपस्कर और अनुरक्षण यातायात का नियंत्रण, कतिपय मामलों में त्रुटि के बिना दायित्व मोटर यानों का पर व्यक्ति जोखिम बीमा, दावा अधिकरण, अपराध, शास्तियां एवं प्रक्रिया व प्रकीर्ण व्यवस्थाएं हैं।
2.	केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 ☐	मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 12, 27, 64, धारा 88 की उपधारा (14), धारा 110, 137, 164, 208 सपठित धारा 211 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 बनायी है। इस नियमावली में मोटरयानों के ड्राइवरों का अनुज्ञापन (जिसके अन्तर्गत शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति, चालन अनुज्ञप्ति, चालन अनुज्ञप्ति के लिए अयोग्यता, चालन अनुज्ञप्ति पर पृष्ठांकन, चालन अनुज्ञप्ति का राज्य रजिस्टर रखना, ड्राइविंग स्कूल की स्थापना व उसकी प्रक्रिया दी हुयी है) मोटर यानों का रजिस्ट्रीकरण (जिसके अन्तर्गत व्यवसाय प्रमाण पत्र, पंजीयन, फिटनेस प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रीकरण, मोटर यानों का राज्य रजिस्टर, राजनयिकों के यानों के रजिस्ट्रीकरण हेतु विशिष्ट व्यवस्था दी हुयी है), परिवहन यानों का नियन्त्रण (जिसके अन्तर्गत टूरिस्ट परमिट और नेशनल परमिट दिये जाने की व्यवस्था दी हुयी है) मोटर यानों का निर्माण, उपस्कर और अनुरक्षण (जिसके अन्तर्गत डाइमेन्शन, टाइरों का आकार प्रकार और दशा, ब्रेक, स्टेयरिंग, गियर, सेफ्टी ग्लास, बिंड स्क्रीन,

		वाइपर, स्मोक वैपर, स्पाकर्स, एशेज ग्रिट और आयल, स्पीड गवर्नर, रिडक्शन ऑफ न्वाइज, चैसिस नंबर और इंजिन नम्बर, चालक, यात्री और सड़क प्रयोक्ता के लिए सेफ्टी डिवाइसेज, टूरिस्ट यानों, व खतरनाक और असुरक्षित माल को ले जाने के लिए विशेष उपबन्ध दिये हैं) यातायात नियन्त्रण, मोटर यानों का पर व्यक्ति जोखिम बीमा से सम्बन्धित प्रक्रियात्मक व्यवस्थाऐं है।
3.	रेन्ट ए कैब स्कीम, 1989	मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 75 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को, जो अपने निजी उपयोग के लिए मोटर कैब को चलाना चाहता है, मोटर कैब किराया पर देने के व्यवसाय को नियंत्रित करने के लिए अधिसूचना संख्या एस। ओ। 437 (ई0) दिनांक 12 जून 1989 द्वारा रेन्ट ए कैब स्कीम अधिसूचित की गयी है।
4.	रूल्स ऑफ दि रोड रैगुलेशन, 1989	मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 118 के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा मोटरयानों के चालन हेतु रूल्स ऑफ दि रोड रेगुलेशन, 1989 अधिसूचना संख्या 439 दिनांक 12–06–1989 द्वारा बनाये गये हैं।
5.	सोलेशियम स्कीम, 1989	मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 163 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा ''हिट एण्ड रन'' मोटर दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को मुआवजा देने के लिए सोलेशियम स्कीम, 1989 अधिसूचना संख्या एस/ओ/440(ई) दिनांक 12 जून 1989 द्वारा अधिसूचित की गयी है।
6.	चालन अनुज्ञप्ति (छूट की शर्तें) नियम,1992	मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा ऐसे व्यक्ति को जो मोटर यान चलाने का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा हो, प्रशिक्षण के दौरान मोटरयान अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) में दिये गये उपबन्धों से छूट प्रदान करने की शर्तों का उपबन्ध किया गया है।
7.	ओवर आल डायमेन्सन्स ऑफ मोटर वेहिक्लिस (प्रेस्क्रिप्सन ऑफ कंडीशन्स फॉर एक्जम्सन रूल्स, 1991)	मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 110 कि उप धारा (3) के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या 583 (ई0) दिनांक 12–09–1991 द्वारा उन नियमों शर्तो का उल्लेख किया है जिनके अधीन रहते हुए केन्द्रीय मोटर यान नियमावली के अधीन रहते हुए नियम 93 में दिये गये उपबन्धों से किसी मोटरयान को राज्य सरकार छूट दे सकती है।
8.	मोटर वेहिकिल्स (आल इण्डिया परमिट फार टूरिस्ट ट्रान्सपोर्ट आपरेटर्स) रूल्स,	मोटर यान अधिनिमय 1988 की धारा 88 की उप धारा (14) सपठित उपधारा (9) के अधीन आल इण्डिया परमिट फार टूरिस्ट ट्रान्सपोर्ट आपरेटर्स के लिए केन्द्र सरकार

	1993	द्वारा अधिसूचना संख्या जी/एस/आर/541 (ई0) दिनांक 10–08–1991 के द्वारा नियम बनाये गये हैं।
9.	उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1988 (यथा उत्तरांचल में लागू)	मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 28, 38, 65, 95, 96, 107, 111, 138, 176 और 213 के अधीन पूर्ववती राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली, 1998 बनायी है। इसमें केन्द्रीय मोटर यान नियमावली 1989 में किये गये उपबन्धों मोटर यानों के ड्राइवरों का अनुज्ञापन, मंजिली गाडियों के कण्डक्टरों का अनुज्ञापन, मोटर यानों का रजिस्ट्रीकरण, परिवहन यानों का नियन्त्रण, माल वाहनों द्वारा ले जाये जा रहे माल के संग्रह, अग्रेषण और वितरण के कारवार में लगे अभिकर्ताओं का अनुज्ञापन, सार्वजनिक सेवा यानों द्वारा यात्रा करने के लिए टिकटों की बिक्री के लिए अभिकर्ताओं का अनुज्ञापन और उनके आचरण का विनियमन, राज्य परिवहन उपक्रम के बारे में विशेष उपबन्ध प्रस्थापना में समाविष्ट की जाने वाली विशिष्टयां, मोटर यानों का निर्माण, उपस्कर एवं अनुरक्षण यातायात का नियंत्रण, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण व प्रकीर्ण के सम्बन्ध में उपबन्ध किये गये है।
10.	उत्तरांचल मोटर यान कराधान सुधार अधिनियम, 2003,	उत्तरांचल राज्य में मोटरयानों के उपयोग के सम्बन्ध में कर एवं अतिरिक्त कर लिए जाने की व्यवस्था इस अधिनियम में की गयी है। इसके अधीन समस्त मोटर यानों से कर (मार्गकर) एवं सार्वजनिक सेवा यान व माल वाहनों से अतिरिक्त कर लिये जाने की व्यवस्था है।
11.	उत्तरांचल मोटर यान कराधान सुधार नियमावली, 2003	उत्तरांचल मोटर यान कराधान सुधार नियमावली, 2003 की धारा 28 के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्य सरकार द्वारा यह नियमावली बनायी गयी है। इसमे मोटर यानों से कर एवं परिवहन यानों से कर/अतिरिक्त कर के उद्रगहण की प्रक्रियात्मक व्यवस्था उपबंधित है।
12.	उत्तरांचल मोटर यान कराधान सुधार नियमावली, 2003	उत्तरांचल मोटर यान कराधान सुधार नियमावली, 2003 की धारा 28 के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्य सरकार द्वारा यह नियमावली बनायी गयी है। इसमे मोटर यानों से कर एवं परिवहन यानों से कर/अतिरिक्त कर के उद्रगहण की प्रक्रियात्मक व्यवस्था उपबंधित है।
13.	रेन्ट ए मोटर साइकिल स्कीम, 1997	मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 75 के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को जो, अपने उपयोग के लिए किसी किराये की मोटर साइकिल को चलाना चाहता है किराये पर मोटर साइकिल उपलब्ध कराने के लिए उसके कारबार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से अधिसूचना संख्या–एस0आर0 375 (ई) दिनांक 12.05.97

		द्वारा रेन्ट ए मोटर साइकिल स्कीम, 1997 अधिसूचित की गयी है।
14.	स्पेसिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ मोटर वेहिकिल्स	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 41 की उपधारा (4) के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या एस0ओ0 859 (ई0) दिनांक 14–11–1992 द्वारा परिवहन यान और परिवहन यान से भिन्न मोटर यानों के प्रकार अधिसूचित किये गये है।
15.	अधिकतम् गति सीमा (मैक्सिमम् स्पीड लिमिट)	मोटरयान अधिनियम की धारा 112 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न वर्गो के मोटर यान के लिए अधिकतम प्रति घन्टा गति सीमा निर्धारित करते हुए की अधिसूचना संख्या–425 (ई) दिनांक 09.09.89 द्वारा अधिसूचित किया गया है।
16.	स्पेसिफिकेशन ऑफ मैक्सिमम् ग्रॉस वेहिकिल वेट एण्ड मैक्सिमम् सेफ एक्सिल वेट	मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 58 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणियों (Category) के परिवहन यानों के लिए अधिकतम ग्रास वेहिकिल वेट (G.V.W.) टन में तथा अधिकतम सुरक्षित धुरी भार (Maximum Safe Axle Weight) अधिसूचना संख्या–728 (ई) दिनांक 18.10.1996 द्वारा अधिसूचित किया गया है।
17.	रजिस्ट्रेशन मार्क ऑन वेहिकिल्स फॉर स्टेट्स एण्ड यूनियन टैरिटरीज	मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 41 की उपधारा (6) के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या एस0ओ0 444(ई) दिनांक 12.06.89 सपठित अधिसूचना संख्या–एस0ओ0 1080 (ई) दिनांक 30.11.2000 एवं अधिसूचना संख्या–एस0ओ0 14 (ई) दिनांक 05.01.2001 द्वारा अधिसूचित किये गये है।
18.	मोटर वेहिकिल्स (न्यू हाई सेक्यूरिटि रजिस्ट्रेशन प्लेट्स) आर्डर, 2001	दिनांक 28–09–2001 एवं उसके पश्चात रजिस्टर्ड मोटरयानों पर तात्कालिक प्रभाव से एवं उससे पूर्व रजिस्ट्रीकृत मोटर यानो पर दो वर्ष पश्चात हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स लगाने की व्यवस्था इस आदेश में की गयी है। केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या एस0ओ0 814(ई) दिनांक 22–08–2001 द्वारा अधिसूचित ।
19.	उत्तर प्रदेश परिवहन सेवा नियमावली, 1990 (यथा उत्तरांचल में लागू)	इस नियमावली में परिवहन सेवा के समूह क एवं ख के पदों के सम्बन्ध में उपबन्ध किये गये है। इसमें परिवहन विभाग के अपर परिवहन आयुक्त, उप परिवहन आयुक्त, सम्भागीय परिवहन अधिकारी, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारियों की नियुक्ति, प्रोन्नति और सेवा सम्बंधि अन्य व्यवस्थाए है।
20.	उत्तर प्रदेश परिवहन (अधिनस्थ) प्राविधिक सेवा	इस नियमावली में उत्तरांचल राज्य के परिवहन विभाग के सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) एवं सहायक सम्भागीय

	नियमावली, 1980 (यथा उत्तरांचल में लागू)	निरीक्षक (प्राविधिक) की नियुक्ति अपनो एवं सेवा सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाए है।
21.	उत्तर प्रदेश परिवहन अधीनस्त अभियोजन सेवा नियमावली, 1979 (यथा उत्तरांचल में लागू)	इस नियमावली में परिवहन विभाग के सहायक अभियोक्ता की नियुक्ति एवं सेवा सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाएं है।
22.	उत्तर प्रदेश परिवहन कराधान (अधीनस्थ) सेवा नियमावली, 1980 (यथा उत्तरांचल में लागू)	इस नियमावली में परिवहन विभाग के यात्रीकर अधिकारी, यात्रीकर अधीक्षक के पदों पर नियुक्ति , पदोन्नति एवं सेवा सम्बन्धी अन्य उपबन्ध किये गये हैं।
23	उत्तरांचल परिवहन विभाग लिपिक वर्ग सेवा नियमावली, 2004	इस नियमावली में परिवहन विभाग के परिवहन आयुक्त मुख्यालय सम्भाागय कार्यालयों में लिपिक वर्गीय सेवा से सम्बन्धित पदों पर नियुक्ति पदोन्नति एवं सेवा के सम्बन्ध में अन्य उपबन्ध किये गये हैं।
24.	उत्तरांचल परिवहन विभाग प्रवर्तन कर्मचारी वर्ग सेवा नियमावली, 2004	इस नियमावली में परिवहन विभाग से प्रवर्तन पर्यवेक्षक, प्रवर्तन चालन एवं प्रवर्तन सिपाही के पदों पर नियुक्ति एवं सेवा से सम्बन्धित उपबन्ध है।
25.	परिवहन आयुक्त एवं शासन द्वारा समय–समय पर जारी आदेश/निर्देश	

अधिनियमों की प्रति बाजार में उपलब्ध है परिवहन विभाग द्वारा जारी नियमावली/निर्देश की प्रति यथास्थिति सम्भागीय परिवहन कार्यालय/मुख्यालय/शासन से प्राप्त की जा सकती है जबकि मुख्यालय के निर्देश की प्रति मुख्यालय एवं कार्यालयों से प्राप्त की जा सकती है।

वित्त विभाग द्वारा जारी नियम, विनियम एवं अनुदेश

क्र. स.	नियम का नाम	विषय वस्तु सम्बन्धी सूक्ष्म विवरण
1	**2**	**3**
1.	वित्तीय संग्रह खण्ड–1	इसमें राज्य में वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन से सम्बन्धित व्यवस्थाएं हैं।
2.	वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2 भाग–2 से 2 से 4	इसमें राज्य कर्मियों के सेवा से सम्बन्धित शर्तें जैसे वेतन निर्धारण अवकाश से संबंन्धित नियम हैं।
3.	वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–3	इसमें राज्य कर्मियों के द्वारा राजकीय हित में की गयी यात्राओं के लिये यात्रा भत्ता भुगतान किये जाने से सम्बन्धित नियम है।
4.	वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5	इसमें लेखा रखे जाने से सम्बन्धित नियम हैं।

	भाग–1	
5.	वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–2	कोषागार से वित्तीय व्यवहरण सम्बन्धित अंश जो आहरण एवं वितरण अधिकारी से सम्बन्धित हैं।
6.	बजट मैनुअल	इसमें बजट से सम्बन्धित कार्य किस प्रकार किया जाता है उससे सम्बन्धित नियम एवं प्रक्रिया।
7.	यू0पी0 रिटायरमेन्ट बेनिफिटस रूल्स–1965	सेवानैवृत्तिक लाभ की प्रक्रिया।
8.	उत्तरांचल प्रदेश पेंशन के मामलों की प्रस्तुतीकरण निस्तारण और विलम्ब का परिवर्जन नियमावली–2003	इसमें पेंशन के कागजात तैयार करने से सम्बन्धित समय सीमा निर्धारित की गयी है।
9.	उत्तरांचल राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना निधि नियमावली, 2003	सामूहिक बीमा निधि की कार्य प्रक्रिया, प्रपत्र तथा दायित्व।
10.	उत्तर प्रदेश कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 1985	सामान्य भविष्य निधि की कार्य प्रक्रिया, प्रपत्र तथा दायित्व।

<u>कार्मिक विभाग द्वारा जारी नियम, विनियम एवं अनुदेश</u>

1.	उत्तरांचल सेवाओं में भर्ती (जन्म दिनांक का अवधारण) नियमावली, 2003	भर्ती के समय जन्म तिथि निर्धारण के सम्बन्ध में।
2.	उत्तरांचल कर्मचारी आचरण नियमावली–2002	सरकारी सेवकों के व्यवहार एवं आचरण सम्बन्धी मानक तथा सिद्धान्त
3.	उत्तरांचल (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 2002	दिनांक 30–06–1998 से पूर्व तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण करने के लिये यह नियमावली बनायी गयी है।
4.	उत्तरांचल विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों के लिये नियमावली–2002)	लोक सेवा आयोग से भिन्न चयन प्रक्रिया पर मार्गदर्शन।
5.	उत्तरांचल सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002	सरकारी सेवकों की वरिष्ठता सम्बन्धी मानक आधार।
6.	उत्तरांचल (उत्तरांचल लोक सेवा आयोग के क्षेत्र से बाहर) समूह ग के पदों पर सीधी भर्ती नियमावली, 2003	जिन विभागों में विशिष्ट आधार पर स्वतन्त्र नियमावली अधिसूचित नहीं है उसके लिये चयन प्रक्रिया के मानक।

7.	उत्तरांचल राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 2002	सरकारी सेवकों के स्थाईकरण के आधार एवं स्थिति से सम्बन्धित व्यवस्थाएं हैं।
8.	उत्तरांचल सरकारी सेवक (प्रतिकूल वार्षिक गोपनीय रिर्पोट के विरूद्ध प्रत्यावेदन और सहबद्ध मामलों का निपटारा) नियमावली, 2002	प्रतिकूल प्रविष्टियों के विरूद्ध प्रत्यावेदन और उसके निपटारे की प्रक्रिया एवं समय सारणी।
9.	उत्तरांचल सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिये मानदण्ड) नियमावली, 2004	प्रोन्नति के मानक।
10.	समूह 'घ' कर्मचारी सेवा नियमावली, 2004	इस संवर्ग में नियुक्ति की प्रक्रिया।
11.	उत्तरांचल राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना निधि नियमावली, 2003	सामूहिक बीमा निधि की कार्य प्रक्रिया, प्रपत्र तथा दायित्व।
12.	उत्तर प्रदेश कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 1985	सामान्य भविष्य निधि की कार्य प्रक्रिया, प्रपत्र तथा दायित्व।
13.	उत्तरांचल समूह 'ख' सेवा (लघु शास्तियों का आरोपण) नियमावली, 2003	समूह 'ख' के अधिकारियों को लघु शास्तियों का आरोपण किये जाने के अधिकार विभागाध्यक्षों को प्रतिनिधानित किये गये हैं।
14.	उत्तरांचल सरकारी सेवक त्याग पत्र नियमावली, 2003	सरकारी कर्मचारी द्वारा सेवा से त्याग पत्र देने एवं उस पर अन्तिम निर्णय लेने की प्रक्रिया दी गयी है।
15.	उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (सेवा समाप्ति) नियमावली, 1975	अस्थाई कर्मचारियों की सेवा समाप्ति से सम्बन्धी प्रक्रिया।
16.	उत्तरांचल सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा निर्धारण नियमावली, 2004)	इस नियमावली में सरकारी सेवाओं में भर्ती किये जाने की आयु से सम्बन्धित विवरण।
17.	उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993	विभिन्न विभागों में भर्ती किये जाने से सम्बन्धित आरक्षण का उल्लेख है।
18.	उत्तरांचल सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 2002	इस नियमावली में सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त किये जाने की व्यवस्था है।
19.	उत्तरांचल सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील)	इस नियमावली में सरकारी सेवकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की व्यवस्था

	नियमावली, 2003	है।
20.	उत्तरांचल सरकारी विभाग ड्राईवर सेवा नियमावली, 2003	इस नियमावली में सरकारी गाड़ियों के ड्राईवरों की सेवा से सम्बन्धित व्यवस्था हैं।
21.	मैनुवल ऑफ गर्वमेन्ट आर्डस	शासनादेशों का संग्रह
22.	सिविल सर्विस रेगुलेशन्स	इस पुस्तक का पेंशन संबंधी अंश

टिप्पणी :–

(1) उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 में इस आशय का प्राविधान किया गया है कि उत्तर प्रदेश के अधिनियम/नियम/शासनादेश/प्रक्रिया तब तक लागू रहेंगे जब तक ऐसे अधिनियम/नियम/शासनादेश/प्रक्रिया उत्तरांचल राज्य में अलग से संशोधित/प्रख्यापित नहीं की जाती है।

(2) वित्त एवं कार्मिक विभाग द्वारा समय–समय पर जारी नियमावली/निर्देश की प्रति सम्बन्धित विभाग से प्राप्त की जा सकती है।

इस क्रम में परिवहन मुख्यालय/सम्भागीय परिवहन कार्यालय पौड़ी /सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय, कोटद्वार/कर्णप्रयाग,रूद्रप्रयाग के पते एवं दूरभाष/ई–मेल निम्नवत हैं :–

कार्यालय का नाम	**कार्यालय का पता**	**दूरभाष संख्या**
1	**2**	**3**
परिवहन आयुक्त, उत्तरांचल	228 मोहित नगर, देहरादून	0135/2761655 0135/2761916 0135/2761656 (फैक्स)
सम्भागीय परिवहन अधिकारी, पौड़ी	लोअर बाजार पौड़ी	01368/223003
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कर्णप्रयाग	अपर बाजार कर्णप्रयाग	
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार	बद्रीनाथ मार्ग कोटद्वार	
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूद्रप्रयाग	जिला पंचायत भवन गुलाबराय रूद्रप्रयाग	

****